No. CD-11012/01/2022-Coord.
Government of India
Ministry of Road Transport & Highways
(Coordination Section)
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 19th January, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of December, 2021.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of December, 2021 is enclosed herewith for information.

Prashant Kumar

(Prashant Kumar)
Section Officer (Coordination)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of December, 2021.

1. **Award and construction of National Highways**: The Ministry has constructed 6,185 K.M. of National Highways up to December in 2021-22 as compared to 7,203 K.M. constructed up to December in 2020-21. The award figure is 5,835 K.M. during this period as compared to 7,767 K.M. in the previous year.

2. **National Conference on "Investment Opportunities in Highways, Transport and Logistics**: A National Conference, under the chairmanship of Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways, on "Investment Opportunities in Highways, Transport and Logistics" was held in Mumbai on December 17, 2021. The conference highlighted investment opportunities in highway, transport and logistics sectors along with implementation plan for Bharatmala Pariyojana and Vehicle Scrapping Policy. Hon'ble Minister for Road Transport and Highways urged the investors to come forward and invest boldly in the infrastructure sector. Four MoUs were signed during the Summit which includes 2 MoUs for establishment of RVSFs in Maharashtra signed by Tata Motors and Mahindra CERO respectively.

3. **Laying Foundation Stone and inauguration of National Highway projects**: Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways laid foundation stone and inaugurated 232 K.M. of National Highways on 20th December, 2021 at a cost of Rs.4,160 crore in Jaunpur and Mirzapur and 240 K.M. in Meerut and Muzaffarnagar with a total cost of Rs.9,119 crore on 23.12.2021 in Uttar Pradesh. The Hon'ble Minister emphasized infrastructure development would provide better connectivity and boost the development of State.

4. **Intelligent Transport System (ITS)**: The Hon'ble Minister launched first Intelligent Transport System (ITS) on 6-Lane Eastern Peripheral Expressway at Dasna, Ghaziabad on 23.12.2021. The ITS will achieve traffic efficiency by efficient infrastructure usage, enriching users with prior information about traffic and minimizing traffic problems. ITS will reduce travel time as well as enhance safety and comfort of commuters.

5. **Triple Deck to transport two wheelers:** This Ministry, vide Draft Notification-GSR 885(E) dated 27th December, 2021- has proposed to amend Rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules (CMVR) 1989 to allow rigid vehicles as well as trailers to have maximum of three decks to transport two wheelers with the load body not projecting over the driver's cabin. This will enhance the carriage capacity of two wheelers by 40-50%. Further, trailers can have a maximum of two decks to carry four wheelers with the load body as per Automotive Industry Standard (AIS) 113.

6. **Safety Requirements for Road Train:** This Ministry, vide Draft Notification- GSR 886(E) dated 27th December 2021- has proposed to amend CMVR 1989 by inserting a new Rule,125K, regarding Safety Requirements for Road Train. It has been proposed that from 01st March, 2022 onwards, the procedure for type approval and certification of Road Train, shall be in accordance with AIS-113, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).

7. **Electric power train vehicles:** This Ministry, vide S.O. 5419(E) dated 27th December has notified revision of Automotive Industry Standard AIS 038 (Rev 2) for M and N categories of vehicles (passenger cars and commercial vehicles) and issued a new Standard AIS 156 for Electric Power Train and battery in respect of two and three wheelers, and Quadricycles. This notification covers the aspect of battery safety, which is interlinked with overall safety of Electric Vehicles (EVs). This will further improve safety of EVs.

8. **Constitution of a Committee for settlement of arbitral awards/court orders pertaining to NHAI, where settlement amount is Rs.100 cr. & above :** A Committee has been constituted under the chairmanship of Secretary, Ministry of Road Transport & Highways with Chairman, NHAI, Additional Secretary & Financial Adviser, MoRTH and Member, NHAI as its Members to deliberate on all references being made by NHAI in case of arbitral awards/court orders, where settlement amount is Rs.100 cr. & above, in order to take timely and appropriate decisions. The Committee will *inter alia* advise whether to go for conciliation / amicable settlement of disputes through Conciliation Committee of Independent Experts (CCIE); the amount at which such conciliation may be done; whether to withdraw from the conciliation; whether an appeal has to be filed against an Arbitration Award/Court Orders.

9. **Change in the management structure of the National Highways Infra Investment Managers Private Limited (NHIIMPL), Investment Manager Company of NHAI InvIT :** The Management structure of the NHIIMPL at Board level has been revised as under:

Management Structure of the NHIIMPL				
Sl. No.	Name of Post	Old	New	Total
1	Sponsor (MoRTH) + MD/CEO	3	1	4
2	NSU Directors	-	2	2
3	Independent Directors	3	3	6
	Total		6	12

10. **<u>Standing Finance Committee (SFC) meetings</u>:** In the month of December, 2021, 28 projects of length 964.169 K.M. and total capital cost of Rs. 26354.12 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

*****

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषयः मंत्रिमंडल के लिए दिसंबर, 2021 माह का मासिक सारांश।

1 . **राष्ट्रीय राजमार्गों का सौंपना और निर्माण** : मंत्रालय ने दिसंबर 2020-21 तक के 7,203 किलोमीटर की तुलना में दिसंबर 2021-22 तक 6,185 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। पिछले वर्ष के 7,767 किलोमीटर की तुलना में इस अवधि के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 5,835 किलोमीटर है।

2. **"राजमार्ग, परिवहन और लॉजिस्टिक में निवेश के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मलेन"** : श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में 17 दिसंबर, 2021 को मुंबई में "राजमार्ग, परिवहन और लॉजिस्टिक में निवेश के अवसर पर" एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में भारतमाला परियोजना और वाहन स्क्रैपिंग नीति के कार्यान्वयन योजना के साथ-साथ राजमार्ग, परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला गया। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने निवेशकों से आगे आने और अवसंरचना क्षेत्र में बढ़-चढ़ कर निवेश करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन के दौरान चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए जिनमें क्रमशः टाटा मोटर्स और महिंद्रा सीईआरओ द्वारा हस्ताक्षरित महाराष्ट्र में आरवीएसएफ की स्थापना के लिए 2 समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

3. **राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन** : श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने उत्तर प्रदेश में 20 दिसंबर, 2021 को जौनपुर और मिर्जापुर में 4,160 करोड़ रुपये की लागत से 232 किलोमीटर और दिनांक 23.12.2021 को मेरठ और मुजफ्फरनगर में 9,119 करोड़ रुपये की कुल लागत से 240 किलोमीटर की लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास और उद्घाटन किया। माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास बेहतर संपर्कता प्रदान करेगा और राज्य के विकास को बढ़ावा देगा।

4. **इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस)** : माननीय मंत्री ने 23.12.2021 को डासना, गाजियाबाद में 6-लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आईटीएस) शुरूआत की। आईटीएस कुशल अवसंरचना के उपयोग से यातायात दक्षता हासिल करेगा, यातायात के बारे में पूर्व सूचना से उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करेगा और यातायात समस्याओं को कम करेगा। आईटीएस यात्रा के समय को कम करने के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाएगा।

5. **दुपहिया वाहनों के परिवहन के लिए ट्रिपल डेक** : इस मंत्रालय ने 27 दिसंबर, 2021 के मसौदा अधिसूचना - सा.का.नि. 885 (अ) के माध्यम से रिजिड वाहनों के साथ-साथ ट्रेलरों में दो पहिया वाहनों को ले जाने के लिए अधिकतम तीन डेक होने चाहिए, जिसमें लोड बॉडी ड्राइवर के केबिन के ऊपर न हो,

को अनुमति देने के लिए केंद्रीय मोटर यान नियम (सीएमवीआर) 1989 के नियम 93 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। इससे दुपहिया वाहनों की वहन क्षमता 40-50% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा, ट्रेलरों में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 113 के अनुसार लोड बॉडी के साथ चार पहिया वाहनों को ले जाने के लिए अधिकतम दो डेक हो सकते हैं।

6. रोड ट्रेन के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं : इस मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2021 के प्रारूप अधिसूचना-सा.का.नि. 886 (अ) के माध्यम से रोड ट्रेन के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं के संबंध में एक नया नियम, 125 को अंत:स्‍थापित करके सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्तावित किया गया है कि 01 मार्च, 2022 से, रोड ट्रेन के प्रकार अनुमोदन और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया, समय-समय पर संशोधित एआईएस-113 के अनुसार होगी, जब तक कि भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 का 11) का ब्यूरो के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है।

7. इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन : इस मंत्रालय ने का.आ. 5419 (अ) दिनांक 27 दिसंबर के माध्यम से एम और एन श्रेणियों के वाहनों (यात्री कारों और वाणिज्यिक वाहनों) के लिए मोटर वाहन उद्योग मानक एआईएस 038 (रेव 2) के संशोधन को अधिसूचित किया है और दो और तीन पहिया वाले वाहनों और क्वाड्रिसाइकिल के संबंध में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बैटरी के लिए एक नया मानक एआईएस 156 जारी किया है। इस अधिसूचना में बैटरी सुरक्षा के पहलू को शामिल किया गया है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की समग्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा में और सुधार होगा।

8. एनएचएआई से संबंधित मध्यस्थ निर्णयों/न्यायालय के आदेशों के निपटान, जहां निपटान राशि रु. 100 करोड़ व इससे अधिक है, के लिए एक समिति का गठन : सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सदस्‍य के रूप में अध्यक्ष, एनएचएआई, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय शामिल है जो मध्यस्थता निर्णय/अदालत के आदेश, जहां निपटान राशि रु.100 करोड़ व इससे अधिक है, का समय से और उचित तरीके से निर्णय लेने के लिए एनएचएआई द्वारा किए जा रहे सभी संदर्भों पर विचार करने के लिए हैं। यह समिति *अन्य बातों के साथ-साथ* सलाह देगी कि क्या स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (सीसीआईई) के माध्यम से विवादों के समाधान/सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जाना है; वह राशि जिस पर ऐसा समझौता किया जा सकता है; क्या सुलह से पीछे हटना है; क्या मध्यस्थता निर्णय/न्यायालय के आदेशों के खिलाफ अपील दायर की जानी है।

9. एनएचएआई इनविट के निवेश प्रबंधक कंपनी नेशलन हाइवे इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड (एनएचआईआईएमपीएल), के प्रबंधन संरचना में बदलाव : बोर्ड स्तर पर एनएचआईआईएमपीएल **की प्रबंधन संरचना को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:**

एनएचआईआईएमपीएल की प्रबंधन संरचना				
क्र. सं.	पद का नाम	पुराना	नया	कुल
1	प्रायोजक (एमओआरटीएच) + एमडी/सीईओ	3	1	4
2	एनएसयू निदेशक	-	2	2
3	स्वतंत्र निदेशक	3	3	6
	कुल		6	12

10. <u>स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें</u> : दिसंबर, 2021 माह में, 964.169 किलोमीटर लंबाई और 26354.12 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत लागत की 28 परियोजनाओं का एसएफसी द्वारा मूल्यांकन किया गया एवं इनके अनुमोदन की सिफारिश की गई।

*****